संख्या-35 /2018/ 1135 /अड़तीस-5-2018-2बजट/2016(1)

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2018

**विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्षो में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अवशेष राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-83)**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 555 /ई-2/ 2017, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 एवं अपने पत्र संख्या-649/ई-2/2017 दिनांक 06-11-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत कुल रू0 15797.100 लाख की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। उक्त प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में रू0 16851.460 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। केन्द्रांश के रूप में अवशेष धनराशि रू0 7247.409 लाख तथा राज्यांश के रूप में रू0 4587.022 लाख की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 15/ 2017/ 2632/38-5-2017-2 बजट/ 2016 (1) दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा केन्द्रांश के शार्टफाल की धनराशि रू0 4749.251 लाख तथा शासनादेश संख्या- 2/2018/436/ अडतीस-5-2018-2बजट/ 2016 (1) दिनांक 31 जनवरी, 2018 द्वारा केन्द्रांश के अवशेष रू0 2498.158 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में अधिक निर्गत की गई धनराशि रू0 491.074 लाख का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में अधिक निर्गत की गई धनराशि रू0 30.978 लाख का समायोजन करते हुए एवं अनुमन्य अवशेष राज्यांश के सापेक्ष शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अवशेष राज्यांश रू 4095.948 लाख (रूपये चालीस करोड पन्चानबे लाख चौरानबे हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

| अनुदान सं0 | पेयजल कार्यक्रम के घटक | प्राप्त केन्द्रांश | प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश | अनुमन्य राज्यांश के सापेक्ष निर्गत राज्यांश् | **अनुमन्य राज्यांश के सापेक्ष अवशेष राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि** | वित्तीय 2015-16 में अधिक निर्गत की गई धनराशि | वित्तीय वर्ष 2016-17 में अधिक निर्गत की गई धनराशि | अवशेष राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि (कालम 6- 7 एवं 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 83 | Coverage & QPV | **8572.162** | **8572.162** | 4983.242 | **3588.920** | **491.074** | 30.978 | **3066.868** |
| | O&M | **1714.432** | **1714.432** | 1745.410 | **0.00** | | | **0.00** |
| | Sustainability | **1142.946** | **761.967** | 495.845 | **266.122** | | | **266.122** |
| | EMWQ | **426.620** | **426.620** | 426.620 | **0.000** | | | **0.00** |
| | WQ Mission | **685.610** | **685.610** | 650.652 | **34.958** | | | **34.958** |
| | EAP Share | **2527.330** | **0.000** | 0.000 | **0.000** | | | **0.00** |
| | Solar | **728.000** | **728.000** | 0.000 | **728.000** | | | **728.00** |
| | Total | 15797.100 | 12888.791 | 8301.769 | **4618.00** | **491.074** | 30.978 | **4095.948** |

(रूपये चालीस करोड पन्चानबे लाख चौरानबे हजार आठ सौ मात्र)

संख्याः 35 /2018/ 1135 (1)/अइतीस-5-2018-2बजट/2016(1), तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 ।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10)समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ ) उत्तर प्रदेश शासन।
(11) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( रमेश चन्द्र मिश्र )
अनु सचिव।